म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./ बी–6/नियमन/भुगतान/369/300 भोपाल,दिनांक 06/05/2017

प्रति,

1) संयुक्त/उप संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा
2) सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
..... जिला .....

विषयः–किसानो को कृषि उपज के पूर्ण व त्वरित भुगतान के संबंध मे।

संदर्भः–1) म0प्र0 शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना कमांक डी–15–76–2016–चौदह–3 दिनांक 19 दिसम्बर 2016
2) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय का पत्र कमांक/बी–6/नियमन/चैक भुगतान/369/227 दिनांक 28.4.17

प्रदेश के कृषको के द्वारा मण्डी प्रांगण मे बेची गई अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान चैक तथा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से समय पर प्राप्त नही होने के संबंध मे लगातार शिकायते प्राप्त हो रही है।

(2) म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 36(3) के तहत अधिसूचित कृषि उपजो के विकय हेतु खुले नीलामी पद्धति/घोष विकय द्वारा तय किये गये मूल्य मे किसी भी कारण से कोई कटौती नही किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 37(2)(क) के अनुसार मण्डी प्रांगण मे कय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विकेता को उसी दिन मंडी प्रांगण मे किया जाना प्रावधानित है तथा उसी दिन भुगतान न होने की स्थिति मे धारा 37(2)(ख) के अनुसार विकेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पांच दिन के भीतर करने का प्रावधान है एवं इस अतिरिक्त अवधि मे भी भुगतान का व्यतिकम होने पर धारा 37(2)(ग) के अनुसार केता व्यापारी की अनुज्ञप्ति छठवे दिन स्वतः रद्द समझी जाने का प्रावधान है।

व्यापारियो के द्वारा कृषको को भुगतान हेतु चैक/आर.टी.जी.एस. प्रणाली के उपयोग करने पर किसी भी प्रकार के बैंक कमीशन या सर्विस चार्ज का भुगतान वहन करना केता/व्यापारी का ही दायित्व है। अतः कृषको को उनकी उपज का पूर्ण मूल्य, बगैर किसी कटौत्रे के प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाये।

(3) कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 मे स्पष्ट है कि कोई भी कृषि उपज मंडी प्रांगण से हटाये जाने के पूर्व, विक्रय के पूर्व, प्रसंस्करण के पूर्व, पूर्ण मंडी शुल्क प्राप्त कर अनुज्ञा पत्र जारी करवाया जाना अनिवार्य है अन्यथा पांच गुना पेनल्टी मय ब्याज उल्लंघनकर्त्ता क्रेता को जमा कराना होगा।

अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है कि मंडी अधिनियम की धारा 37(2) की तहत कृषको पूर्ण भुगतान हो गया, यह सुनिश्चित कराना अनिवार्य है कि मंडी प्रांगण मे क्रय की गई कृषि उपज का भुगतान उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जा चुका है।

(4) कृषकों के भुगतान के जोखिम के निराकरण के लिए व्यापारियों के द्वारा उनकी एक दिन की क्रय क्षमता का घोषणा पत्र लिया जाकर तदानुसार आवश्यक प्रतिभूति मण्डी समिति में जमा कराई जाती हैं।

व्यापारियों की एक दिन की क्रय क्षमता के अनुरूप अधिसूचित कृषि उपजों की खरीदी का परीक्षण किये जाने तथा घोषित क्रय क्षमता से अधिक क्रय किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त प्रतिभूति लिए जाने के संबंध में मुख्यालय से समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं एवं इस कार्यवाही का सतत् परीक्षण किये जाने का दायित्व मण्डी सचिवों/आंचलिक कार्यालय प्रभारियों को सौंपा गया हैं।

अतः एक दिन की अधिकतम खरीदी क्षमता के अनुरूप आवश्यक प्रतिभूति जमा नही कराये जाने की स्थिति में कृषकों के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर मण्डी सचिव उत्तरदायी होंगे।

(5) मण्डी अधिनियम के उक्त प्रावधानो के दृष्टिगत विलम्बित भुगतान के ऐसे प्रकरणों मे व्यापारी/फर्म के विरूद्ध म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 एवं उपविधियो के प्रावधान अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जावे एवं कृषको के भुगतान में किसी भी प्रकार के कटौत्रे अथवा व्यतिक्रम के प्रकरणो की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में नियमित रूप से आंचलिक अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाकर, अधीनस्थ मण्डियो में ऐसे प्रकरण/शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही त्वरित कराया जाना सुनिश्चित् कर, प्रतिवेदन बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल